न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 14/2025/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 28.01.2025
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

आजाद कुमार आ० बाबूलाल जी लसोड जाति महाजन निवासी ग्राम कास्या तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज०)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. अमरचंद आ० बाबूलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
2. तोताराम आ० स्वर्गीय श्री बाबूलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
3. प्रकाश आ० देवीलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
4. झूमा बाई पत्नि बाबूलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
5. सुगना बाई पुत्री बाबूलाल जरिये संरक्षक माता श्रीमती झूमा बाई पत्नि बाबूलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
6. भवानी पुत्री देवीलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
7. कैलाशी पुत्री देवीलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)
8. जगदीश प्रसाद मीणा आ० कल्याणलाल मीणा निवासी ग्राम झुवांसा तहसील के० पाटन जिला बून्दी (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी (राज०)
10. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार डाबी उप तहसील डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज०)

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक –अपीलांट
श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

दिनांक 02.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 14/2022 बउनवान आजाद कुमार बनाम अमरचंद वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 18.06.2024 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार उप तहसील डाबी के द्वारा नामांतरकरण संख्या 980 में दर्ज किये गये नोट दिनांक 26.02.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल आदेश की पालना में नायब तहसीलदार डाबी द्वारा नामांतरकरण संख्या 980 पर नोट अंकित किया जाने पर उक्त अंकित नोट मूल आदेश की श्रेणी में नही होने से तदनुसार उक्त नोट के विरूद्ध धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपील पोषणीय नहीं होने से निर्णय दिनांक 18.06.2024 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18.06.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के यहाँ नायब तहसीलदार, उपतहसील डाबी जिला बून्दी के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 980 में दर्ज नोट के आधार पर दर्ज आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि आराजी खसरा संख्या 630/1384 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डाबी पटवार हल्का डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित हैं, उक्त भूमि पूर्व में गैरखातेदार देवीलाल वल्द देवा हिस्सा 3/5, प्रकाश वल्द देवीलाल हिस्सा 2/5 कौम भील साकिनदेह खातेदार राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2068 में अंकन खातेदार के स्थान पर दर्ज हैं। उक्त जमाबंदी में ही नामान्तकरण संख्या 971 से विरासत नामान्तकरण दिनांक 21.07.2008 से मृतक देवीलाल के स्थान पर वारिसान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 का नाम दर्ज करना स्वीकार हुआ। उक्त जमाबंदी में ही नामान्तकरण संख्या 980 हकत्याग दिनांक 07.11.2008 से अमरचंद नाबालिग, नोताराम (तोताराम) नाबालिग पिसरान बाबूलाल, सुगना नाबालिग पुत्री बाबूलाल, झूमाबाई बैवा बाबूलाल नाबालिग वली माता झूमाबाई बैवा बाबूलाल व भवानी, कैलाश पुत्रिया कैलाश के हिस्से पर प्रकाश वल्द देवीराम का नाम दर्ज करना उक्त नामान्तरकरण से स्वीकार

2/7/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

हुआ। इसी जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 981 हकत्याग दिनांक 07.11.2008 से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2, 4, 5, 6, के स्थान पर रेस्पोडेन्ट क्रम 3 प्रकाश का नाम दर्ज करना स्वीकार हुआ तत्पश्चात् नामान्तकरण संख्या 987 दिनांक 02.01.2009 से सम्पूर्ण खाता सिवायचक लगानी दर्ज करना स्वीकार हुआ। तत्पश्चात् उक्त भूमि पर अपीलांट को सिवायचक भूमि के आधार पर खनिज विभाग द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट को एम.एल.न. 81/2008 ग्राम डाबी क्षेत्र 29550 वर्गमीटर का खनन पट्टा अपीलान्ट के नाम स्वीकृत एवं पंजीकृत, वैध एवं प्रभावी अपीलान्ट के नाम महामहिम राज्यपाल की ओर से खनि अभियन्ता द्वारा अपीलान्ट के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिया तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी खनन पट्टाधारी हैं। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 मे हकत्याग पत्र खसरा संख्या 630/1384 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम डाबी में निहित अपने हिस्से को निरस्त कराने हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के यहाँ पेश वाद में निर्णय एवं डिक्री के आधार पर माननीय न्यायालय के निर्णय से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की भूमि का किया गया हक त्याग पत्र निरस्त करने के आदेश जिला न्यायाधीश के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा पेश अपील मिसल संख्या–105/2014 निर्णय दिनांक 30.12.2014 को उक्त भूमि पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर निरस्त हुऐ हक त्याग की भूमि को अपीलान्ट अमरचंद व तोताराम के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। यहाँ विदित हैं कि अमरचंद, तोताराम के द्वारा हक त्याग पत्र को निरस्त करने हेतु जो वाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी के यहाँ निर्णित हुआ वह केवल मात्र अमरचंद व तोताराम के हिस्से जो हक त्याग पत्र से प्रकाश को दे दिया था। उसी को निरस्त करने का वाद था। जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.12.2014 में भी यही आदेश फरमाया कि रीलिज डीड राजीनामा के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी का निर्णय दिनांक 10.12.2014 से रीलीज डीड के केन्सिल की डिक्री हो जाना प्रकट हैं, इस आधार पर ही नामान्तकरण संख्या 980 को निरस्त करने का आदेश दिया था, परन्तु उक्त आदेश की पालना नायब तहसीलदार डाबी जिला बून्दी द्वारा अवैधानिक गलत रूप से की गई व सम्पूर्ण भूमि पर वापिस रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 को गैर खातेदार दर्ज कर दिया। प्रकाश आ० देवीलाल का 2/5 हिस्सा का त्याग व नामान्तरकरण प्रकाश का निरस्त हिस्सा नहीं हुआ हैं व भवानी, कैलाशी पुत्रिया देवीलाल का हकत्याग का दावा जिला न्यायाधीश के यहाँ या अन्य न्यायालय में पेश नहीं किया हैं, न ही निरस्त हुआ हैं फिर भी वापस उक्त भूमि का गैरखातेदार भवानी, कैलाशी का दर्ज हुआ व सुगना बाई नाबालिग जर्ये माता झूमा व स्वयं झूमा पत्नि बाबूलाल के द्वारा जो हक त्याग पत्र प्रकाश के हक में किया हैं वह प्रकाश द्वारा उक्त भूमि को सरेण्डर कर भूमि सिवायचक दर्ज करवा दी। सिवायचक के नामान्तकरण को किसी न्यायालय में

अति. सं. आयुक्त
कोटा

चुनौति नहीं दी, इसके उपरान्त भी भूमि सरकार सिवायचक गैर खातेदारी में दर्ज कर दी तथा बिना किसी आदेश के उक्त नोट विलोपित कर दिया। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.02.2015 के विरूद्ध जिला कलेक्टर बून्दी के यहाँ अपील पेश करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश धारा–151 सी. पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील कानूनन पोषणीय नहीं होने से निर्णय दिनांक 18.06.2024 खारिज करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी का उक्त पारित आदेश सर्वथा विधान के विपरित होने से निरस्तनी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने यह तथ्य समझने में कानूनी भूल की हैं कि दिनांक 30. 12.2014 का निर्णय रिलीज डीड राजीनामा के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी का निर्णय दिनांक 10.12.2014 से रिलीज डीड की केन्सिल की डिक्री हो जाना प्रकट हैं। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य प्रस्तुत किये थे कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के यहाँ राजीनामा जितने हिस्से की रिलीज डीड का दावा जिला न्यायाधीश बून्दी के यहाँ रिलीज डीड निरस्त करने का किया था, वही राजीनामा से डिक्री हुआ हैं एवं जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा भी जिला न्यायाधीश के निर्णय अनुसार जितने हिस्से की रिलीज डीड निरस्त हुई हैं, उसी अनुसार नामान्तरकरण निरस्त किया था अर्थात् अमरचंद एवं तोताराम जिन्होने अपने हिस्से की रिलीज डीड निरस्त का दावा किया था। उतने हिस्से का ही नामान्तकरण से अमरचंद तोताराम के खाते में कृषि भूमि दर्ज होना चाहिऐ था परन्तु सम्पूर्ण 25 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डाबी की भूमि दर्ज कर दिया, जो विधि विरूद्ध गैर कानूनी होने से खारिज होने योग्य हैं। नामान्तकरण संख्या 980 पर नायब तहसीलदार डाबी द्वारा दिनांक 26.02.2015 को अंकित नोट अंतरिम आदेश की श्रेणी में इसलिए नहीं आता क्योंकि उक्त नोट से सम्पूर्ण कृषि भूमि ही खाते दर्ज कर दी। जबकि अमरचंद तोताराम के हिस्से की भूमि का रिलीज डीड केन्सिल हुआ था, इस कारण नामान्तकरण संख्या 980 की अग्रिम जमाबंदी में सम्पूर्ण 25 बीघा 07 बिस्वा भूमि अमरचंद, तोताराम वगै० एवं पूर्व खातेदार प्रकाश आ० देवीलाल एवं भवानी, कैलाशी पुत्री देवीलाल एवं झूमा बैवा बाबूलाल एवं सुगना बाई पुत्री बाबूलाल के नाम दर्ज कर दी। जबकि प्रकाश जो सम्पूर्ण भूमि में 3/2 भूमि का हिस्सेदार था, जिसका कोई रिलीज डीड न तो न्यायालय में चेलेन्ज हुआ न ही निरस्त हुआ, इसके उपरान्त भी उक्त नामान्तकरण में दर्ज नोट को अंतरिम आदेश मानकर अपील अस्वीकार कर दी, उक्त आदेश निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय 18.06.2024 कानून के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के आदेश के आधार पर नोट नहीं डाला हैं बल्कि जो गैर खातेदार प्रकाश व कैलाशी, भवानी पुत्रियां देवीलाल के द्वारा व झूमा बाई पत्नि बाबूलाल के द्वारा हक–त्याग पत्र प्रकाश के हक में किया वह निरस्त

अति. सं. आयुक्त
कोटा

नही हुआ व प्रकाश ने उक्त भूमि सरेण्डर कर भूमि का नामान्तकरण संख्या 987 दिनांक 01.02.2009 से भूमि का कब्जा राज लेकर भूमि सिवायचक दर्ज हो गई। इसके उपरान्त भी सम्पूर्ण भूमि वापस पूर्ववत् ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी। उक्त अंकन अवैध, गैर कानूनी व कानून के विरूद्ध निरस्त होने योग्य हैं। खसरा संख्या 630/1384 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा भूमि जो जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 में नामान्तकरण संख्या 987 से सिवायचक लगानी थी। उक्त सरेण्डर तहसीलदार बून्दी के आदेश दिनांक 24.12.2008 से सरेण्डर आदेश से जिला कलेक्टर बून्दी की अनुमति से सिवायचक दर्ज हुई हैं। उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया हैं, जिसके बिना सरेण्डर आदेश के उक्त नोट का अंकन विलोपित करना अवैध एवं गैर कानूनी हैं। यहाँ यह भी विदित हैं कि आदेश से अधिक भूमि का अंकन गैर खातेदार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 के पक्ष में किया, इस कारण उक्त आदेश निरस्त होने योग्य हैं। खसरा नम्बर 630/1384 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डाबी की भूमि पर अपीलान्ट का एम.एल. न0 81/2008 स्वीकृत एवं पंजीकृत सेण्ड स्टोन का पट्टा हैं, जो वर्तमान समय में भी वैध एवं प्रभावी हैं। उक्त भूमि पर टीनेन्सी राईट खनन पट्टा जारी करने के साथ खत्म हो गये हैं। भूमि पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने तथ्य छिपाते हुऐ जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला कलेक्टर बून्दी के यहाँ जो गलत तथ्य पेश कर नामान्तकरण का नोट डलवाया हैं। अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की जानकारी में हैं कि उक्त भूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत हैं। इस प्रकार नायब तहसीलदार उप तहसील डाबी के द्वारा नामांतरकरण संख्या 980 में दर्ज किये गये नोट दिनांक 26.02.2015 से नामान्तकरण की सम्पूर्ण भूमि को प्रभावित करने के कारण अपीलान्ट ने अपील पेश की हैं, जो पोषनीय हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2024 निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 980 में दर्ज नोट दिनांक 26.02.2015 को विलोपित फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 630/1384 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डाबी पटवार हल्का डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित हैं, उक्त भूमि पूर्व में गैरखातेदार देवीलाल वल्द

अति. सं. आयुक्त
कोटा

देवा हिस्सा 3/5, प्रकाश वल्द देवीलाल हिस्सा 2/5 कौम भील साकिनदेह खातेदार राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2068 में अंकन खातेदार के स्थान पर दर्ज हैं। उक्त जमाबंदी में ही नामान्तकरण संख्या 971 से विरासत नामान्तकरण दिनांक 21.07.2008 से मृतक देवीलाल के स्थान पर वारिसान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 का नाम दर्ज करना स्वीकार हुआ। उक्त जमाबंदी में ही नामान्तकरण संख्या 980 हकत्याग दिनांक 07.11.2008 से अमरचंद नाबालिग, नोताराम (तोताराम) नाबालिग पिसरान बाबूलाल, सुगना नाबालिग पुत्री बाबूलाल, झूमाबाई बैवा बाबूलाल नाबालिग वली माता झूमाबाई बैवा बाबूलाल व भवानी, कैलाश पुत्रिया कैलाश के हिस्से पर प्रकाश वल्द देवीराम का नाम दर्ज करना उक्त नामान्तरकरण से स्वीकार हुआ। अधीनस्थ न्यायालय 18.06.2024 कानून के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के आदेश के आधार पर नोट नहीं डाला हैं बल्कि जो गैर खातेदार प्रकाश व कैलाशी, भवानी पुत्रियां देवीलाल के द्वारा व झूमा बाई पत्नि बाबूलाल के द्वारा हक–त्याग पत्र प्रकाश के हक में किया वह निरस्त नही हुआ व प्रकाश ने उक्त भूमि सरेण्डर कर भूमि का नामान्तकरण संख्या 987 दिनांक 01.02.2009 से भूमि का कब्जा राज लेकर भूमि सिवायचक दर्ज हो गई। इसके उपरान्त भी सम्पूर्ण भूमि वापस पूर्ववत् ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी। उक्त अंकन अवैध, गैर कानूनी व कानून के विरूद्ध निरस्त होने योग्य हैं। खसरा संख्या 630/1384 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा भूमि जो जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 में नामान्तकरण संख्या 987 से सिवायचक लगानी थी। उक्त सरेण्डर तहसीलदार बून्दी के आदेश दिनांक 24.12.2008 से सरेण्डर आदेश से जिला कलेक्टर बून्दी की अनुमति से सिवायचक दर्ज हुई हैं। खसरा नम्बर 630/1384 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डाबी की भूमि पर अपीलान्ट का एम.एल. न0 81/2008 स्वीकृत एवं पंजीकृत सेण्ड स्टोन का पट्टा हैं, जो वर्तमान समय में भी वैध एवं प्रभावी हैं। उक्त भूमि पर टीनेन्सी राईट खनन पट्टा जारी करने के साथ खत्म हो गये हैं। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य प्रस्तुत किये थे कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के यहाँ राजीनामा जितने हिस्से की रिलीज डीड का दावा जिला न्यायाधीश बून्दी के यहाँ रिलीज डीड निरस्त करने का किया था, वही राजीनामा से डिक्री हुआ हैं एवं जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा भी जिला न्यायाधीश के निर्णय अनुसार जितने हिस्से की रिलीज डीड निरस्त हुई हैं, उसी अनुसार नामान्तरकरण निरस्त किया था अर्थात् अमरचंद एवं तोताराम जिन्होने अपने हिस्से की रिलीज डीड निरस्त का दावा किया था। उतने हिस्से का ही नामान्तकरण से अमरचंद तोताराम के खाते में कृषि भूमि दर्ज होना चाहिऐ था परन्तु सम्पूर्ण 25 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डाबी की भूमि दर्ज कर दिया, जो विधि विरूद्ध गैर कानूनी होने से खारिज होने योग्य हैं। नामान्तकरण संख्या 980 पर नायब तहसीलदार डाबी द्वारा दिनांक 26.02.2015 को अंकित नोट अंतरिम आदेश की श्रेणी में इसलिए नहीं आता क्योंकि उक्त नोट से सम्पूर्ण कृषि भूमि ही खाते दर्ज कर दी। जबकि अमरचंद तोताराम के हिस्से की भूमि का रिलीज डीड केन्सिल हुआ था, इस कारण नामान्तकरण संख्या 980 की अग्रिम जमाबंदी में सम्पूर्ण 25 बीघा 07 बिस्वा भूमि अमरचंद, तोताराम वगै० एवं पूर्व खातेदार प्रकाश आ०

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

देवीलाल एवं भवानी, कैलाशी पुत्री देवीलाल एवं झूमा बैवा बाबूलाल एवं सुगना बाई पुत्री बाबूलाल के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार नायब तहसीलदार उप तहसील डाबी के द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जो interlocutory order नहीं है, बल्कि अंतिम आदेश ही पारित कर दिया गया। नायब तहसीलदार के उक्त नोट के अंकन किये जाने से प्रश्नगत आराजी के संबंध में प्रकरण की प्रकृति ही परिवर्तित हो गयी, उक्त नोट का अंकन निर्णय के अनुसार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2024 निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 980 में दर्ज नोट दिनांक 26.02.2015 को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेचन में स्पष्ट किया गया है कि मूल आदेश की पालना में नायब तहसीलदार डाबी द्वारा नामांतरकरण संख्या 980 पर नोट अंकित किया गया, जो तहसीलदार के मूल आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार न्यायालय के आदेश से नोट अंकित हुआ है। यदि अपीलांट को उक्त नोट से आपत्ति है तो सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष मूल आदेश को चैलेंज किये जाने हेतु चाराजोही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश interlocutory order है तथा इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 के प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार उप तहसील डाबी के द्वारा नामांतरकरण संख्या 980 में दर्ज किये गये नोट दिनांक 26.02.2015 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की गई है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के वाद संख्या 47/2017 द्वारा वादीगण अमरचंद आत्मज स्व0 बाबूलाल, तोताराम आत्मज स्व0 बाबूलाल एवं प्रतिवादीगण झुमा बाई पत्नि स्व0 बाबूलाल, सुगना बाई पुत्री स्व0 बाबूलाल जरिये संरक्षक माता झुमा बाई, प्रकाश आत्मज देवीलाल के द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर लोक अदालत में निर्णय दिनांक 10.12.2014 से राजीनामा में प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हुए समझौते के अनुसार दावा वादी डिक्री करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 प्रकाश के पक्ष में निष्पादित हक त्याग–पत्र दिनांक 27.10.2008 जिसको कि कृषि भूमि खसरा सं0 630/1384 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा निष्पादित किया गया था, को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.06.

अति. सं. अधीक्षण
कोटा

2024 में विवेचन किया गया है कि "अपीलाधीन नामांतरकरण रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा निष्पादित रिलीज डीड दिनांक 27.10.2008 के आधार पर रेस्पो0 क्र. 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया है। उक्त रिलीजडीड राजीनामा के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 10.12.2014 से रिलीज केन्सिल की डिक्री हो जाना प्रकट होता है। अपीलाधीन नामांतरकरण निरस्त किये जाने में रेस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामांतरकरण निरस्त किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा अपीलांट्स एवं रेस्पो0 के हिस्से पर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। जहां तक अपीलांट द्वारा अमरचंद, तोताराम के हिस्से के बजाय संपूर्ण नामांतरकरण निरस्त कर संपूर्ण रकबा पूर्व गैर खातेदारान के नाम दर्ज कर दिये जाने की आपत्ति का प्रश्न है तो इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30.12.2014 से अपीलाधीन नामांतरकरण निरस्त हो जाने से न्यायालय निर्णय की पालना में नोट अंकित किया गया। फलस्वरूप राजस्व रिकोर्ड में रिलीजडीड से पूर्व की स्थिति बहाल हो गई है, जो विधिसम्मत हैं"।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 980 में अंकित उक्त नोट का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार डाबी द्वारा दिनांक 26.02.2015 को जिला कलक्टर, बून्दी के प्रकरण संख्या 105/अपील/14 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 एवं न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के वाद संख्या 47/2017 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 23.12.2014 का उल्लेख करते हुए तदनुसार नोट अंकित कर नामांतरकरण संख्या 980 निरस्त किया गया है, जो विधिसम्मत होना प्रकट होता है। क्योंकि उक्त स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 980 दिनांक 07.11.2008 जिला कलक्टर, बून्दी के प्रकरण संख्या 105/अपील/14 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 से निरस्त किया जा चुका हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के प्रकरण संख्या 105/अपील/14 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के निर्णय दिनांक 10.12.2014 से रिलीजडीड को निरस्त किये जाने की डिक्री का भी उल्लेख करते निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्य सही प्रकट नहीं होते हैं। यदि अपीलांट को उक्त नोट से आपत्ति है तो सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष मूल आदेश दिनांक 10.12.2014 को चैलेंज किये जाने हेतु चाराजोही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विवेचित **"न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश की पालना में नायब तहसीलदार डाबी द्वारा नामांतरकरण संख्या 980 पर नोट अंकित किया गया, जो तहसीलदार के मूल आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में उक्त नोट के विरूद्ध धारा 75**

अति. सं. आयुक्त
कोटा

एलआरएक्ट के तहत यह अपील पोषणीय नहीं है" उचित प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की गई है, जिसमें किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नहीं होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

2/7/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा